


स्पीड पोस्ट / वेबसाइट



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002  
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)  
Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002

कार्यालय दूरभाष सं. 0522-2455283  
Office Phone No.-0522-2455283

कार्यालय फ़ैक्स सं. 05222451993  
Office Fax No.-0522-2451993

E-Mail ID: cda-luck@nic.in

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2017-18

दिनांक: 29/03/2017

सेवा में

प्रभारी अधिकारी,

- (1) वे.ले.का. एस.एल.आई. फतेहगढ़
- (2) वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़
- (3) वे.ले.का. डी.आर.सी. फैज़ाबाद
- (4) वे.ले.का. (सै.चि.द.) लखनऊ
- (5) वे.ले.का. 11 जी.आर.आर.सी. लखनऊ
- (6) वे.ले.का. 39 जी.टी.सी. वाराणसी
- (7) संबन्धित अनुभाग, मुख्य कार्यालय लखनऊ


विषय: क्षे.प्र.के. लखनऊ प्रशिक्षण: RTI एवं Grievance Redressal Mechanism पर  
पाठ्यक्रम।

\*\*\*\*\*

निम्नलिखित कर्मचारियों को नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार दिनांक 06/04/2017 से 07/04/2017 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:


क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1.	सचिन	8339902	व.ले.प.	वे.ले.का. एस.एल.आई. फतेहगढ़
2.	गुंजन कुमार पांडे	8341823	ले.प.	वे.ले.का. डी.आर.सी. फैज़ाबाद
3.	संतोष पांडे	8334541	स.ले.अ.	वे.ले.का. 11 जी.आर.आर.सी. लखनऊ
4.	तरुण बहल	8341649	लिपिक	वे.ले.का. 39 जी.टी.सी. वाराणसी
5.	ललितेश्वर कुमार	8326170	स.ले.अ.	वे.ले.का. 39 जी.टी.सी. वाराणसी
6.	ललित कुमार तिवारी	8320001	स.ले.अ.	वे.ले.का. (सै.चि.द.) लखनऊ
7.	कु. सुरेखा	8341692	ले.प.	वे.ले.का. (सै.चि.द.) लखनऊ
8.	जे. पी. शर्मा	8328533	स.ले.अ.	वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़
9.	प्रदीप कुमार जैन	8326395	व.ले.प.	वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़
10.	आशुतोष शुक्ला	8341803	ले.प.	मुख्य कार्यालय लखनऊ
11.	विमल कुमार	8338010	व.ले.प.	मुख्य कार्यालय लखनऊ
12.	निर्मल कुमार	8340598	व.ले.प.	मुख्य कार्यालय लखनऊ

2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने कार्यालय से कार्य-मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

  
व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- (1) प्रशासन 1अ अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।  
 ✓ (2) स्वचलन कक्ष : कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।  
 (3) क्षे. प्र. के. लखनऊ : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

  
स. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

क्र.सं.	नाम	पद	वर्ग	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					